

कार्यालय :: जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी (छ.ग.)
// कार्य विभाजन आदेश //

क्रमांक /एक-11-02/2018

धमतरी, दिनांक 14/07/2022

मैं के. एल. चरयाणी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी (छ.ग.) सिविल जिला धमतरी में न्यायाधीशों के मध्य सिविल कार्य विभाजन के संबंध में पूर्व में जारी किए गए समस्त आदेशों को अतिष्ठित करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 10(3) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत एतद द्वारा सिविल जिला धमतरी एवं सत्र खण्ड धमतरी के न्यायालयों और अधिकरणों के मध्य सिविल, मोटर दुर्घटना दावा, विशेष दांडिक व सत्र प्रकरणों तथा अन्य सिविल एवं दांडिक कार्य व आवेदनों (न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) का निम्नानुसार कार्य विभाजन जारी करता हूं जो दिनांक 14/07/2022 से प्रभावशील होगा तथा लंबित सिविल एवं दांडिक मामलों पर इसका प्रभाव नहीं होगा :—

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों के प्रकार
1	2	3	4
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी, विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, विद्युत अधिनियम, मन: प्रभावी पदार्थ एवं स्वापक औषधि अधिनियम (एनडीपीएस) सी.बी.आई., निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005, ड्रग्स एंड कार्स्मेटिक एक्ट	सिविल जिला धमतरी एवं सत्र खण्ड धमतरी	<ol style="list-style-type: none"> सत्र प्रकरण। दांडिक अपील प्रकरण। दांडिक पुनरीक्षण। दांडिक प्रकरणों के अंतरण संबंधी आवेदन। जमानत याचिका अंतर्गत धारा 438 दं.प्र.सं. एवं धारा 439 दं.प्र.सं। अन्य विविध दांडिक प्रकरण। अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 से संबंधित समस्त दांडिक/विशेष दांडिक, विविध दांडिक प्रकरण, रिमाण्ड एवं जमानत याचिका। (पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरण को छोड़कर) विधि एवं विधायी कार्य विभाग छ.ग. शासन की अधिसूचना क्रमांक 1151 दिनांक 08.02.2022 के अनुसार एन.डी.पी.एस. एक्ट से संबंधित समर्त दांडिक/विशेष दांडिक, विविध दांडिक प्रकरण, रिमाण्ड एवं जमानत याचिका। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित

	<p>समस्त दांडिक/विशेष दांडिक, विविध दांडिक प्रकरण, रिमाण्ड एवं जमानत याचिका।</p> <p>10. विद्युत अधिनियम 2003 से संबंधित समस्त दांडिक/विशेष दांडिक, विविध दांडिक प्रकरण, रिमाण्ड एवं जमानत याचिका।</p> <p>11. छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 से संबंधित समस्त मामले।</p> <p>12. अपमिश्रित औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 से संबंधित अपराध के समस्त प्रकरण।</p> <p>13. समस्त सिविल वाद, जिनका मूल्यांकन 10,00,000/- (दस लाख रुपये) से ऊपर है तथा उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाही एवं निष्पादन कार्यवाही।</p> <p>14. राशि 25,00,000/- तक के सभी मध्यस्थता मामले जो एम.जे.सी., निष्पादन मामलों से संबंधित हो तथा ऐसे प्रकरण जो माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार संस्थित हुए हों।</p> <p>15. सहकारी समिति अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>16. लोक न्यास अधिनियम 1961 से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>17. व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 एवं प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>18. कंपनी अधिनियम के तहत जिला न्यायाधीश द्वारा विचारण योग्य समस्त मामले (कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार दो वर्ष अथवा अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों को छोड़कर)</p> <p>19. राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 से संबंधित समस्त मामले।</p> <p>20. धारा 24 सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित समस्त मामले।</p> <p>21. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—एक एवं दो धमतरी, कुरुद, नगरी न्यायालय के निर्णय एवं डिकी से उद्भुत समस्त नियमित एवं विविध सिविल अपील।</p> <p>22. छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 से संबंधित समस्त अपील।</p> <p>23. मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 163 (ए) 166 एवं 140 के अंतर्गत मोटर</p>
--	--

		<p>दुर्घटना दावा प्रकरण एवं इससे संबंधित विविध तथा निष्पादन प्रकरण का निराकरण करना।</p> <p>24. भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत सभी मामले।</p> <p>25. इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के वाणिज्यिक अधिनियम के तहत सभी मामले, रायपुर में स्थापित विशेष वाणिज्यिक न्यायालय के मामले को छोड़कर।</p> <p>26. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत सभी अपीलीय मामले।</p> <p>27. प्रांतीय दिवालियापन अधिनियम के अंतर्गत सभी मामले।</p> <p>28. खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण के अंतर्गत सभी मामले।</p> <p>29. राजस्व जिले धमतरी के सार्वजनिक परिसर अधिनियम के सभी मामले।</p> <p>30. रूपये 501/- से 1000/- मूल्यांकन तक के सभी विविध एवं निष्पादन से संबंधित प्रकरण।</p> <p>31. समस्त सिविल प्रकरण, जिसे इस आदेश के माध्यम से किसी अन्य न्यायालय को सुनवाई हेतु अधिकृत नहीं किया गया है।</p> <p>32. विकलांगता अधिनियम, 2016 (2016 की संख्या 49) के अंतर्गत व्यक्तियों के अधिकार के तहत मामले।</p> <p>33. विशिष्ट अनुतोष अधिनियम (व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—एक एवं दो धमतरी, कुरुद, व नगरी के मामले को छोड़कर) के सभी मामले।</p>	
2	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.एस.सी., (पॉक्सो) धमतरी	सिविल जिला धमतरी एवं सत्र खण्ड धमतरी	<p>1. लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित समस्त दांडिक/विशेष दांडिक, विविध दांडिक प्रकरण, रिमाण्ड एवं जमानत याचिका।</p> <p>2. विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7671 दिनांक 07.08.2015 एवं माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के विविध सिविल प्रकरण क्रमांक 138 / 2021 छत्तीसगढ़ राज्य वगैरह विरुद्ध रामस्वरूप राजवाड़े में पारित आदेश दिनांक 07.06.2021 के अनुसार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 से संबंधित मामले।</p>

			3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य ।
3	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी) धमतरी / अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, धमतरी	सिविल जिला धमतरी एवं सत्र खण्ड धमतरी	1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा अंतरित किए जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले । 2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य ।
4	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, धमतरी	सिविल जिला धमतरी एवं सत्र खण्ड धमतरी	1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा अंतरित किए जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले । 2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य ।
5	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, श्रृंखला न्यायालय कुरुद,	तहसील कुरुद, मगरलोड, भखारा	1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा अंतरित किए जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले । 2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य ।
6	प्रथम व्यवहार वर्ग—एक / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धमतरी	न्यायाधीश न्यायिक सिविल जिला धमतरी	1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा अंतरित किए जाने वाले समस्त सिविल मामले । 2. रुपये 5,00,001/- से 10,00,000/- तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल मामले तथा उनसे संबंधित विविध सिविल प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाही । 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के पार्ट—10 के तहत समस्त मामले । 4. ४० ग्रो म्यूनिसिपल एक्ट 1961 के तहत समस्त अपील । 5. रुपये 1/- से 500/- तक के मूल्यांकन के समस्त छोटे मामले तथा उनसे संबंधित विविध सिविल प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाही । 6. विशिष्ट अनुतोष अधिनियम (जिला न्यायाधीश धमतरी के न्यायालय के मामलों को छोड़कर) के सभी मामले । 7. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—एक धमतरी के न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं आदेश से संबंधित निष्पादन आवेदन पत्र एवं उससे संबंधित आदेश एवं अपीलीय न्यायालय का आदेश, आवेदन, मामलों के पुनर्स्थापना संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन । 8. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो, धमतरी एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश

			<p>वर्ग—दो, धमतरी के न्यायालय के बंद हो जाने के कारण उनके न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल एवं दांडिक प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकार की कार्यवाहियाँ।</p> <p>9. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—एक धमतरी के न्यायालय से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन एवं अन्य कार्यवाहियाँ।</p> <p>10. जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।</p>
7	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—एक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धमतरी	सिविल जिला धमतरी	<p>1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा अंतरित किए जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</p> <p>2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।</p> <p>3. रुपये 1/- से 5,00,000/- तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल मामले तथा उनसे संबंधित विविध सिविल प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाही।</p> <p>4. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—एक धमतरी के न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं आदेश से संबंधित निष्पादन आवेदन पत्र एवं उससे संबंधित आदेश एवं अपीलीय न्यायालय का आदेश, आवेदन, मामलों के पुर्नस्थापना संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन।</p> <p>5. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—एक धमतरी के न्यायालय से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन एवं अन्य कार्यवाहियाँ।</p>
8	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो / न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धमतरी	रिक्त न्यायालय	रिक्त
9	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो / न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धमतरी	रिक्त न्यायालय	रिक्त
10	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—एक / न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरुद,	तहसील कुरुद, मगरलोड, भखारा	<p>1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा अंतरित किए जाने वाले समस्त सिविल मामले।</p> <p>2. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के पार्ट—10 के तहत समस्त मामले।</p> <p>3. सी.जी. म्यूनिसिपल एकट 1961 के तहत समस्त अपील।</p> <p>4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा</p>

			<p>सौंपे गए अन्य कार्य।</p> <p>5. रुपये 1/- से 10,00,000/- तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल मामले तथा उनसे संबंधित विविध सिविल प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाही।</p> <p>6. रुपये 500/- तक के मूल्यांकन के समस्त छोटे मामले तथा उनसे संबंधित विविध सिविल प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाही।</p> <p>7. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—एक कुरुद के न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं आदेश से संबंधित निष्पादन आवेदन पत्र एवं उससे संबंधित आदेश एवं अपीलीय न्यायालय का आदेश, आवेदन, मामलों के पुर्नस्थापना संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन।</p> <p>8. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—एक कुरुद के न्यायालय से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन एवं अन्य कार्यवाहियों।</p>
11	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो / न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नगरी	तहसील नगरी	<p>1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा अंतरित किए जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</p> <p>2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।</p> <p>3. रुपये 1/- से 5,00,000/- तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल मामले तथा उनसे संबंधित विविध सिविल प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाही।</p> <p>4. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो नगरी के न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं आदेश से संबंधित निष्पादन आवेदन पत्र एवं उससे संबंधित आदेश एवं अपीलीय न्यायालय का आदेश, आवेदन, मामलों के पुर्नस्थापना संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन।</p> <p>5. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो नगरी के न्यायालय से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन एवं अन्य कार्यवाहियों।</p>
12	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो धमतरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश / न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी कुरुद	तहसील कुरुद, मगरलोड, भखारा	<p>1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा अंतरित किए जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</p> <p>2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।</p>

		<p>3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित किए गए सभी दांडिक मामले।</p> <p>4. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो द्वारा घोषित निर्णय एवं आदेश से संबंधित निष्पादन आवेदन पत्र एवं उससे संबंधित आदेश एवं अपीलीय न्यायालय का आदेश, आवेदन, मामलों के पुनर्स्थापना संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन।</p> <p>5. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो, कुरुद के न्यायालय से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन एवं अन्य कार्यवाहियों।</p>
--	--	--

निर्देश :-

- (1) इस सिविल जिला के विभिन्न अधिकरण में लंबित एक ही दुर्घटना से उत्पन्न सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण को विधिवत् एक अधिकरण द्वारा निपटारे का प्रयास किया जाना चाहिए।
- (2) जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने, स्थानांतरित हो जाने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर उनके मध्य अत्यावश्यक कार्य का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :—

स. क्र.	अवकाश पर रहने वाले न्यायाधीश	कॉलम क्र. 2 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य संपादित करने वाले न्यायाधीश	कॉलम क्र. 3 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य संपादित करने वाले न्यायाधीश	कॉलम क्र. 4 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य संपादित करने वाले न्यायाधीश
1	2	3	4	5
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) धमतरी,	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.) धमतरी	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी
2	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) धमतरी,	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) धमतरी	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी
3	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.) धमतरी	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) धमतरी,	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी
4	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी) धमतरी	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) धमतरी,	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी
5	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय, कुरुद	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.) धमतरी	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) धमतरी,	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी

- (3) व्यवहार न्यायाधीश /न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने, स्थानांतरित हो जाने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर उनके मध्य अत्यावश्यक कार्य का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:-

सं. क्र.	अवकाश पर रहने वाले न्यायाधीश	कॉलम क्र. 2 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य संपादित करने वाले न्यायाधीश	कॉलम क्र. 3 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य संपादित करने वाले न्यायाधीश
1	2	3	4
1	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, धमतरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, धमतरी	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, कुरुद
2	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, धमतरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, धमतरी	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, कुरुद
3	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, कुरुद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, धमतरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, धमतरी
4	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, नगरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, धमतरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, धमतरी
5	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, कुरुद	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, कुरुद	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, धमतरी

- (4) मेरी अनुपस्थिति या कार्य करने में असमर्थता होने पर अति आवश्यक आवदेनों या विविध दांडिक प्रकरणों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,एफ.टी.एस.सी.(पॉक्सो) धमतरी द्वारा सुना जाएगा। एक बार किसी जमानत याचिका की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.एस.सी.(पॉक्सो) धमतरी/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.) धमतरी/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धमतरी/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय कुरुद द्वारा किये जाने के बाद उस जमानत याचिका के अंतरण के औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं है।
- (5) सभी कार्य, जिसका प्रावधान इस आदेश में उल्लेखित नहीं है उसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी के समक्ष विधिवत् आदेश हेतु रखा जाएगा।

(के. एल. चरयाणी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ.ग.)

कार्यालय :: जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी (छ.ग.)
// संशोधित कार्य विभाजन आदेश //

क्रमांक क / एक-11-02 / 2018

धमतरी, दिनांक 08 / 08 / 2023

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के परिपत्र क्रमांक 9687 / II-6-2 / 2023 (MP/MLA) / (Checker) बिलासपुर, दिनांक 02 / 08 / 2023 के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय के कार्य विभाजन आदेश क्रमांक क एक-11-02 / 2018 धमतरी, दिनांक 14 / 07 / 2022 के सरल क. 4 के कॉलम 4 की कंडिका 2 के आगे कंडिका 3 एवं सरल क. 6 के कॉलम 4 की कंडिका 10 के आगे 11 निम्नानुसार अंतः स्थापित किया जाता है:-

(1) सांसद एवं विधायकों (MP/MLA) से संबंधित प्रकरण प्राप्त होने पर उक्त मामलों की सुनवाई निम्नानुसार न्यायालयों द्वारा की जाएगी :-

सं. क्र.	न्यायाधीश का नाम / पदनाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों के प्रकार
4	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, धमतरी	सिविल जिला धमतरी एवं सत्र खण्ड धमतरी	3. सांसद एवं विधायकों (MP/MLA) से संबंधित समस्त मामले।
6	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धमतरी	सिविल जिला धमतरी	11. सांसद एवं विधायकों (MP/MLA) से संबंधित समस्त मामले।

(के. एल. चरयाणी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ.ग.)

कार्यालय :: जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी (छ.ग.)
// संशोधित कार्य विभाजन आदेश //

क्रमांक क / एक-11-02 / 2018

धमतरी, दिनांक 19 / 04 / 2023

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3210 / दो-6-2 / 2023 (चेकर) बिलासपुर, दिनांक 17 / 03 / 2023 के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय के कार्य विभाजन आदेश क्रमांक क एक-11-02 / 2018 धमतरी, दिनांक 14 / 07 / 2022 के सरल क्र. 1 के कॉलम 4 की कंडिका 23 के आगे कंडिका 23(अ) निम्नानुसार अंतः स्थापित किया जाता है:—

(1) निम्नलिखित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यवहार अपील क्रमांक 9322 / 2022 (एसएलपी (सी) क्रमांक 32448 / 2018 से उत्पन्न) “गोहर मोहम्मद बनाम यूपीएसआरटीसी एवं अन्य” के पैरा 62(iii) एवं (iv) में दिये गये निर्देश के अनुपालन हेतु आरक्षी केन्द्र को संलग्न किया जाता है :—

स. क.	न्यायाधीश का नाम/पदनाम	धमतरी राजस्व जिला के संलग्न आरक्षी केन्द्र का नाम
1	मुख्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, धमतरी	23 (अ) आरक्षी केन्द्र धमतरी, रुद्री, अकलाडोंगरी, अर्जुनी, कुरुद, भखारा, मगरलोड, चौकी बिरेझार, चौकी करेली बड़ी, सिहावा, नगरी, केरेगांव, दुगली, मेचका, खल्लारी, बोरई एवं उक्त थानों से संबंधित पुलिस चौकियां

(के. एल. चरयाणी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ.ग.)